संख्या-222(1)/90-सं0शि0प0का0-2015-4सं0शि0/15

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक : 07 अक्टूबर, 2015

विषय:- भूतपूर्व/वर्तमान मा0 सांसद/विधायक के निधन से सम्बन्धित सूचना 48 घंटे के भीतर लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना एवं राजकीय सम्मान के साथ उनकी अन्त्येष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1520/सात-सं-1-2006-64सं/84, दिनांक 23 जून, 2006 एवं पत्र संख्या-195/90-सं-1-10-64सं/84, दिनांक 07 फरवरी, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में स्पष्ट निर्देशों के बाद भी भूतपूर्व/वर्तमान मा0 सांसद/विधायक के निधन की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है, इससे शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिनांक 20.08.2015 को विधान सभा की कार्यवाही के मध्य उक्त बिन्दु पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि:-

'' जिन जिलाधिकारियों ने इसमें विलम्ब किया है उनकी जॉच कराई जाय और भविष्य में इस तरह का कृत्य कोई करता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।''

2- अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृपया भविष्य में किसी भूतपूर्व या वर्तमान मा0 सांसद या विधायक के निधन होने पर उनके निधन की तिथि, स्थान तथा उनके निकट संबंधियों के नाम व पते आदि की सूचना प्राथमिकता के आधार पर यथास्थिति मा0 अध्यक्ष, लोक सभा, मा0 सभापति, राज्य सभा, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं मा0 सभापति विधान परिषद् को समय से भेजा जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भविष्य में समय से सूचना नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में इस प्रकार की शिथिलता/कृत्य के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिको के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 222 (1)/90-सं0शि0प0का0-2015/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-1208/वि0स0/संसदीय/123(सं)/2015 दिनांक 04.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार भारद्वाज)
विशेष सचिव।